हम विश्वास करते हैं

एक दूसरे में

मुद्रक :- जिला सहकारी संघ मर्या., सहकारी मुद्रणालय, चौबे कालोनी, रायपुर(छ.ग.)

.... मितव्ययी सहकारी

समिति मर्यादित .... (छ.ग.)

आदर्श उपविधि

-: प्रकाशक :-

रायपुर जिला सहकारी संघ मर्या.

सहकारी मुद्रणालय, सहकारी सदन, चौबे कालोनी,

रायपुर (छ. ग.) फोन : 0771-2255998

.... मितव्ययी सहकारी समिति मर्यादित .... (छ.ग.)

के उपनियम (उपनियमों की शब्दावली यथा संशोधित)

(1)नाम एवं पता : इस समिति का नाम – ....मितव्ययी सहकारी समिति मर्यादित .... होगा।

(2)पता : इसका पंजीकृत पता –

(3)उद्देश्य : समिति के उद्देश्य निम्न होंगे –

(अ) अपने सदस्यों के भौतिक, नैतिक, आर्थिक एवं विशेष (सामाजिक) हितों के संवर्धन के लिए कार्य करना।

(ब) अपने सदस्यों में मितव्ययता एवं अल्प बचत को प्रोत्साहन देना एवं ऐसी बचत राशि पर बिना जोखिम व उनके नियंत्रण से बाहर गये बिना, उचित ब्याज अर्जित हो सके।

(स) ऋण लेना एवं अमानतें स्वीकार करना।

(द) अपने सदस्यों को निम्नलिखित कार्यों में से एक या अधिक के लिये उचित ब्याज दर एवं आसान वसूली शर्तों पर ऋण देना।

(1) स्वयं के और परिवार के स्वास्थ्य उपचार हेतु खर्च के लिये।

(2) बच्चों की शिक्षा पर खर्च के लिये।

(3) सामाजिक रस्मों पर खर्च की पूर्ति के लिये।

(4) बाहरी देनदारियों के भुगतान के लिये।

(5) खाद्यान्न एवं अन्य घरेलू आवश्यकताओं के क्रय के लिये।

(6) आवास निर्माण हेतु भू–खण्ड खरीदी के लिये।

(7) नया मकान निर्माण, बना मकान क्रय करने और पुराने मकान की मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिये।

(8) सदस्यों की आय में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय बचत पत्र, ऋण पत्र और अन्य शासकीय एवं मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियों में विनियोजन के लिये।

(9) ऐसे अन्य कार्यों के लिये जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रासंगिक हो या जो सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु आवश्यक हो।

(इ) सदस्यों को उपभोक्ता वस्तुओं, सामान एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहकारी उपभोक्ता भंडार का संचालन करना।

(क) बीमा की एवं उपभोक्ता व अन्य वस्तुओं की एजेन्सी लेना और अन्य कोई ऐसा व्यापार करना जो सामान्यत: सदस्यों के हित में हो।

(ख) अन्य ऐसे कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रासंगिक एवं आवश्यक हो।

(4) परिभाषाएं : इन उपनियमों में जब तक कि कोई बात, विषय या प्रसंग के विरूद्ध न हो।

(अ) समिति – का अर्थ वह समिति होगा जिसका वर्णन उपनियम क्रमांक 1 में किया गया है।

(ब) अधिनियम एवं नियम – का अर्थ छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 एवं उसके अधीन बनाए नियमों से होगा।

(स) पंजीयक – का अर्थ पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. या कोई अन्य अधिकारी जिसको अधिनियम एवं नियमों के अधीन पंजीयक की शक्तियां प्राप्त हो, से होगा।

(द) कर्मचारी – का अर्थ, उस कर्मचारी, जो .... जिले में पंजीकृत सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी हो तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विभाग में कार्यरत कर्मचारी से होगा।

(इ) नियोजनक – का अर्थ, पंजीकृत सहकारी संस्था के चेयरमेन, अध्यक्ष, प्रबंधक या छ.ग. शासन सहकारी विभाग रायपुर का आहरण एवं वितरण अधिकारी उसके अधीनस्थ कर्मचारी के लिये या सचिव छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग, रायपुर स्थित सहकारी विभाग के राजपत्रित अधिकारी के लिये, से होगा।

(क) प्रबंधकारी कमेटी – का अर्थ इस समिति की प्रबंधकारिणी कमेटी से होगा।

(ख) जमानतदार – का अर्थ वह व्यक्ति जो किसी सदस्य पर वसूल योग्य शेष राशि पटाने के लिये उत्तरदायित्व स्वीकार करें, से होगा।

(5) कार्यक्षेत्र : समिति का कार्यक्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ होगा।

(6) सदस्यता : सदस्यता में वह व्यक्ति शामिल होंगे जो –

(अ) इस समिति के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और

(ब) इन उपनियमों के प्रावधानों के अधीन समिति में भरती किये जावेंगे।

(7) सदस्यता की पात्रता : समिति का प्रत्येक सदस्य अवश्य ही–

(अ) सामान्यत: जिले की किसी पंजीकृत सहकारी समिति में लाभकारी पद पर कार्यरत या रायपुर स्थित राज्य शासन के सहकारिता विभाग में सेवारत होना चाहिए।

(ब) अच्छे चाल-चलन का हो।

(स) अठ्ठारह वर्ष की आयु से ऊपर का हो, परंतु यह शर्त दिवंगत सदस्य के अवयस्क वारिस के लिये नहीं होगा और

(ड) .... जिले का निवासी होना चाहिए।

(8) सदस्यता में प्रवेश :

(अ) प्रबंधकारिणी कमेटी सदस्यों को प्रवेश देगी। प्रत्येक सदस्य को प्रवेश के समय समिति को 1/- रुपया प्रवेश शुल्क देना होगा सदस्य पंजी में अपने नाम से हस्ताक्षर करेगा, इसके अतिरिक्त उसे निम्न कार्य करना होगा।

(1) समिति का कम से कम 20/- रुपया का एक अंश क्रय करना होगा।

(2) समिति की पुस्तकों में अपना पता तथा पते में फेरबदल लिखायेगा।

(3) समिति के पास अपना मासिक वेतन तथा उसमें समय-समय पर तब्दीली संबंधी जानकारी लिखायेगा।

(4) अपने वेतन में समिति को देय राशि की कटौती करने हेतु नियोजक को अधिकृत करने संबंधी इकरारनामा निष्पादित करेगा।

(5) फिजूल खर्चों पर बार-बार ऋण लेने से विरत रहेगा।

(6) मितव्ययता पर अमल करेगा तथा समिति के उपनियम व सिद्धांत जिनके आधार पर समिति का कार्य संचालन हो रहा है को समझेगा व पालन करेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी कमेटी द्वारा निर्धारित फार्म में सदस्यता हेतु आवेदन अपने नियोजक के हस्ताक्षर से समिति को भेजना होगा। आवेदन पत्र सदस्य पंजी का भाग होगा। नियोजक, आवेदन पत्र में लिखे विवरण का प्रमाणीकरण कर, आवेदन समिति को अपनी टीप सहित भेजेगा।

(स) समिति के पास पंजीकृत से ही पत्र व्यवहार किया जावेगा।

(9) सदस्यता की समाप्ति : सदस्यता समाप्त हो जावेगी।

(अ) मृत्यु हो जाने से।

(ब) (1) स्थायी रुप से जिले में निवास न करने से।

(2) उपनियम क्रमांक-7 (अ) में वर्णित पत्राएं समाप्त हो जाने से।

(स) समिति के सचिव को सदस्यता से अलग होने के लिये एक माह की सूचना देने से।

(ड) प्रबंधकारिणी कमेटी द्वारा निम्नलिखित कारणों से निष्कासित किये जाने से।

(1) स्थायी पागलपन।

(2) लगातार तीन, चार, चन्दा, अंशदान का चूक।

(3) समिति के देय ऋण की लगातार तीन किश्तें तथा हिस्से की लगातार दो किश्तें पटाने की चूक।

(4) प्रबंधकारिणी कमेटी द्वारा स्वीकृत ऋण का दुरुपयोग।

(5) ऐसा व्यवहार जिससे समिति के हितों को क्षति पहुंचे।

टीप : उपनियम क्रमांक 9 (स) के अधीन सदस्य सदस्यता से तब तक अलग नहीं हो सकेगा या उपनियम 9 (ब) के अधीन सदस्यता तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक कि उसने समिति को देय राशि से पूर्णत: न चुका दी हो या अन्य ऋणी सदस्य के जमानतदार के दायित्व से उसे मुक्त न कर दिया हो।

(10) सदस्यों में पुन: प्रवेश : ऐसे भूतपूर्व सदस्य की जिसे उपनियम क्रमांक 9 (ड) (1) और (5) के अधीन निष्कासित न किया गया हो पुन: सदस्य बनाया जा सकता है, परंतु ऐसा पुन: प्रवेश उसकी सदस्यता समाप्ति के दिनांक से 6 माह के भीतर नहीं दिया जावेगा यदि सदस्यता समाप्ति के लिये संतोषजनक स्पष्टीकरण हो।

(11) सदस्यों का हित : ऋण सदस्यता उपनियम क्रमांक (9) के अधीन समाप्त हुई हो तो ऐसे सदस्य नामांकित व्यक्ति या कानूनी प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो को उसके खाते में जमा राशि में से समिति को देय राशि काटकर सदस्यता समाप्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर चुकाने के दिनांक तक ब्याज सहित समिति को वापस करना होगा।

(12) प्रत्येक सदस्य एक व्यक्ति को नामजद करेगा जिसे उसकी मृत्यु के बाद मृत

सदस्य के खाते में देय शेष राशि - वापस की जावेगी।

(13) समिति की किसी भी प्रकार की राशि जो सदस्य भूतपूर्व सदस्य या सदस्य के माध्यम से दावेदार व्यक्ति से लेना शेष है, उसकी समिति द्वारा देय राशि में से समायोजित की जा सकेगी।

(14) **दायित्व :** समिति पर ऋणों के लिये सदस्य या दायित्व उसके द्वारा धारण किये समिति के हिस्सों के दर्शनी मूल्य तक सीमित रहेगा।

(15) **(अ) हिस्सा पूंजी** - समिति की अधिकृत हिस्सा पूंजी 20 रुपये के एक हिस्सा के मूल्य से 250000 हिस्से होगी।

(ब) सदस्यों से अनिवार्य अंशदान।

(स) सदस्यों से अमानतें।

(ड) शासन या सहकारी बैंक से ऋण।

(इ) रक्षित एवं अन्य निधियां।

(16)(1) **हिस्सा** - प्रवेश के समय प्रत्येक सदस्य को कम से कम 20 रुपये का एक हिस्सा क्रय करना होगा। कोई भी सदस्य 250 हिस्सों से अधिक धारण नहीं कर सकेगा। हिस्सा आबंटन के समय हिस्से की पूरी राशि देना होगा। प्रत्येक ऋण लेने वाले सदस्य को 200.00 या उसके अंश पर एक हिस्सा लेना होगा।

(2) सदस्यता की समाप्ति पर हिस्से वापस योग्य होंगे।

(3) सदस्यों द्वारा धारण किये जाने वाले हिस्सों की सीमा का प्रावधान ऋण प्राप्तकर्ता सदस्यों को लागू नहीं होगा।

आवश्यक अमानत अंशदान -

(17) समिति को प्रत्येक सदस्य अपने वेतन पर 0-10 पैसे प्रति रुपये की दर से अनिवार्य अमानत खाते में जमा करेगा।

(18) कोई भी सदस्य विशेष बचत अमानत जमा कर सकता है और इस प्रकार जमा की गयी राशि में से किसी समय राशि आहरण कर सकता है। ऐसी अमानतों पर देय ब्याज की दर प्रबंधकारिणी तय करेगी।

(19) सामान्य अनिवार्य अमानत में जमा राशि न तो सदस्यता चालू रहते वापस की जा सकेगी और न ही सदस्य के ऋण खाते में वसूली पेटे समायोजित की जा सकेगी परंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में जमा राशि का 80 प्रतिशत भाग सदस्य को ऋण के रूप में दिया जा सकेगा।

(1) यदि सदस्य को भूखण्ड, मकान और या कृषि भूमि क्रय करने, घरेलू

आवश्यकताओं, नीचे के पानी, बिजली इत्यादि का प्रबंध करने हेतु राशि की आवश्यकता हो।

(2) यदि सदस्य अन्य सहकारी संस्थाओं के हिस्सों, शासकीय प्रतिभूतियां, बान्डस, ऋण पत्रों से विनियोजन करना चाहे।

(20) बिना पंजीयन की पूर्व अनुमति के समिति गैर सदस्य से अमानत नहीं ले सकेगी।

ऋण -

(21) प्रबंधकारिणी समिति के विवेक पर सदस्यों को ऋण दिया जा सकता है। प्रत्येक ऋण के लिये प्रबंधकारिणी कमेटी द्वारा अनुमोदित, सदस्यों में से किन्हीं 2 की व्यक्तित्व जमानत देना होगा।

ऋण की शर्तें -

(22) (1) ऋण देने के लिये सदस्यों को वर्गों में विभाजित किया जावेगा।

(अ) स्थायी कर्मचारी ।

(ब) अस्थायी कर्मचारी ।

(2) किसी भी सदस्य को जिसकी सेवा अवधि 3 वर्ष से कम हो या जिसने कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता अवधि पूरी न की तो किसी भी उद्देश्य के लिए ऋण नहीं दिया जा सकेगा, परन्तु वह शर्तें विशेष प्रकरणों में प्रबंधकारिणी कमेटी शिथिल कर सकती है।

(3) **(अ)साधारणतया :** ऋण ब्याज सहित 48 (अड़तालिस) मासिक बराबर किश्तों में भुगतान योग्य होंगे।

(ब) विशेष ऋण : ऐसे ऋण उन्हीं सदस्यों को दिये जावेंगे जो स्थायी कर्मचारी हैं और जिन्होंने 5 वर्ष की सदस्यता पूर्ण कर ली है या जिन्होंने कम से कम 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है और समिति की सदस्यता 5 वर्ष पूरी कर ली, यह ऋण ब्याज सहित 84 (चौरासी) मासिक बराबर किश्तों में भुगतान योग्य होंगे।

(4) केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये सामान्य ऋण दिये जा सकेंगें।

(अ) स्वयं या परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य उपचार के लिये।

(ब) बच्चों की शिक्षा के लिये।

(स) समारोह संबंधी खर्चों के लिये।

(द) बाहरी दायित्वों के भुगतान के लिये।

(क) खाद्यान्न एवं अन्य घरेलू आवश्यकताओं के खर्च के लिये।

(ख) स्वत: के मकान मरम्मत या जी पी उधार के लिये।

(ग) मौसमी कृषि कार्य पर खर्च के लिये।

(5) विशेष ऋण निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये दिये जावेंगे –

(अ) भूखण्ड क्रय करने एवं मकान निर्माण के लिये।

(ब) नये मकान के निर्माण के लिये।

(स) निवास हेतु मकान खरीदने के लिये।

(द) कृषि भूमि खरीदने एवं भूमि विकास के लिये।

(इ) कृषि सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिये पानी हेतु कुआं एवं पाताल कुआं के निर्माण के लिये यह ऋण उपरोक्त कार्यों पर किये गये खर्च की आपूर्ति के लिये भी दिया जावेगा परंतु शर्त यह है कि क्या आवेदन पत्र खर्च के दिनांक से 1 वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया गया हो।

(6) स्वयं के, पुत्र के, पुत्री के, भाई के, बहन के और आश्रित व्यक्तियों के विवाह के लिये।

(7) निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अधीन प्रबंधकारिणी कमेटी सदस्यों को ऋण स्वीकृत करेगी।

(अ) सामान्य ऋण–सदस्यों के मासिक मूल वेतन के 10 (दस) गुने तक परंतु 25000.00 राशि तक ही ऋण दिया जावेगा।

(ब) विशेष ऋण–सदस्यों के मूल वेतन का 20 (बीस) गुना, परंतु शर्त यह है कि दोनों प्रकार के कुल ऋणों की मासिक बराबर किश्तों की राशि सदस्यों के मासिक वेतन का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। कोई भी ऋण जो स्वत: का या जमानतदारों के 50 गुने से अधिक नहीं होगी परंतु शर्त यह है कि ऐसे ऋण 50000.00 रूपया तक ही दिये जावेंगे।

(8) ऋण खाता तुरंत बंद कर दिया जावेगा और राशि वसूल योग्य हो जावेगी।

(अ) यदि भुगतान की अवधि समाप्त हो गई हो और यह अवधि न बढ़ाई गई हो।

(ब) यदि ऋणी सदस्य ने दो लगातार दो किश्तें पटाने में चूक की हो।

(स) यदि उपनियम क्रमांक 9 के अधीन ऋण की सदस्यता समाप्त हो गई हो।

(द) यदि उपनियम क्रमांक 9 के अधीन वर्तमान जमानतदार की सदस्यता समाप्त हो गई और उसके स्थान पर नया जमानतदार, प्रबंधकारिणी कमेटी द्वारा मांग करने पर उपलब्ध न कराया गया हो।

(9) सचिव ऋणी को ऋण खाता बंद करने तथा खाते में शेष राशि खाता बंद करने के दिनांक तक ब्याज सहित सूचना देगा। ऐसी राशि पर ब्याज दर यही होगी जो आम तौर पर ऋणों पर लागू होती है और ब्याज खाता बंद करने के दिनांक से वसूली के दिनांक तक लिया जायेगा।

(10) यदि कोई सदस्य जो अन्य ऋणी सदस्य का जमानतदार है, जमानत के दायित्व से अलग होना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, यदि ऋणी सदस्य जिसका यह जमानतदार है, तथा सदस्य जमानतदार प्रस्तुत करे और ऐसे जमानतदार को प्रबंधकारिणी कमेटी स्वीकार करें।

(11) जिस माह में ऋण वितरण किया हो उस माह के बाद आने वाले माह में ऋण की पहली किश्त देय होगी। देय किश्त को ऋणी को पटाने अंतिम देय तिथि प्रत्येक माह की 15 तारीख होगी। किश्त पटाने में चूक होने पर देय तिथि से वसूली के दिनांक तक साधारण ब्याज के अतिरिक्त 3 प्रतिशत की दर से दंड ब्याज लिया जावेगा।

(12) सदस्य आवेदन पत्र जो जमानतदारों द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा पर प्रबंधकारिणी कमेटी, किश्त की अवधि बढ़ा सकती है, यदि उसे अवधि बढ़ाने हेतु ऋणी द्वारा दिये कारणों से संतोष हो और ऐसे कारण एवं निर्णय कार्यवाही पुस्तक में लिखे जावेंगे। अवधि बढ़ाने के लिये कमेटी अपने विवेक का उपयोग इस प्रकार करेगी जिससे समिति के हित में कोई हानि न हो। आधे से अधिक देय किश्तों की अवधि में वृद्धि नहीं की जावेगी।

(13) निर्धारित देय तिथि के पूर्व ऋणी अपना पूरा ऋण या उसके भाग का भुगतान कर सकता है।

अधिकतम ऋण सीमा –

(23) समिति की अधिकतम ऋण सीमा उसकी प्रदत्त अंश पूजी एवं संचित कोष के

दस गुना होगी।

आमसभा -

(24) (1) सर्वोच्य शक्ति समिति की आमसभा में वांछित होगी। वार्षिक अंकेक्षण होने पर तुरंत जैसा भी- व्यवहारिक हो, आमसभा जो वार्षिक आमसभा कहलायेगी बुलाई जावेगी। अन्य अवसरों पर पंजीयक या समिति के अध्यक्ष या प्रबंधकारिणी कमेटी स्वत: के प्रस्ताव पर या समिति के एक पंचाश या 15 सदस्यों, इन दोनों में से जो कम हो के लिखित मांग पर आमसभा बुलाई जावेगी। (जो विशेष सभा कहलायेगी) (उपनियम में नहीं है)

(2) आमसभा में कोई भी कार्य संपादन करने हेतु कुल सदस्यों के एक चौथाई या 10 सदस्य, इन दोनों में से जो कम हो, की उपस्थिति अनिवार्य है।

(3) यदि आमसभा के लिये, पुनर्निर्धारित समय के आधे घंटे की भीतर गण पूर्ति न हुई तो अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या दोनों की अनुपस्थिति में समिति के सचिव सभा की बैठक को समाप्त घोषित करेंगे यदि यह सभा सदस्यों की मांग पर बुलाई गई है। अन्य बैठक के बारे में अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या दोनों की अनुपस्थिति में समिति के सचिव बैठक उस समय एवं दिनांक तक स्थगित करेगा जो प्रबंधकारिणी कमेटी के कुछ बैठक बुलाते समय निश्चित की है और जिसका उल्लेख मूल बैठक बुलाने हेतु जारी सूचना में किया गया हो। स्थगित बैठक के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी, ऐसी बैठक के लिये कार्य सूचनी वही होगी जो मूल बैठक की सूचना में दी गई है।

(4) आमसभा की सूचना सचिव जारी करेगा या-पंजीयक जारी करेगा। प्रत्येक सदस्य को कम से कम स्पष्ट 15 दिन की सूचना, जिसमें स्थान दिनांक एवं समय का उल्लेख होगा देना होगा। सूचना के साथ ऐसी बैठकों का कार्य सूची भी भेजनी होगी।

आम सभा के कार्य -

(25) (1) आमसभा के कार्य निम्न होंगे -

(अ) समिति के वार्षिक पत्रक और आडिटशुदा हिसाब सिलक का नक्शा, अंकेक्षण टीप एवं समिति के कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन

विचार के पास करना।

(ब) पदाधिकारियों को मानदेय देने पर विचार कर भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करना। सचिव एवं प्रबंधकारिणी कमेटी का कोई सदस्य जिसे समिति के कार्य की देखरेख के लिए दायित्व सौंपा हो और जिसके लिये पदाधिकारी, सचिव या कमेटी का कोई सदस्य अपना कुछ समय दे।

(स) सहकारी अधिनियम उसके अधीन नियम और उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार आडिटशुदा हिसाब सिलक के नक्शे में दर्शाये लाभ का बंटवारा करना।

(द) सदस्यों प्रवेश एवं निष्कासन की पुष्टि करना।

(क) ऋण लेने व देने की अधिकतम ब्याज की दर निश्चित करना।

(ख) ऋण लेने की अधिकतम सीमा निर्धारित करना।

(ग) पंजीयक की स्वीकृति के अधीन उपनियमों में संशोधन करना।

(घ) अन्य कोई कार्य जो कार्यसूची में हो और जिसे अध्यक्ष स्वीकृति दे पर विचार करना।

(ड) प्रबंधकारिणी कमेटी के सदस्यों का जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव शामिल हैं, त्रैमासिक चुनाव करना।

(2) साधारण आमसभा के कार्य निम्नलिखित होंगे -

(अ) प्रबंधकारिणी कमेटी के सदस्यों का जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव शामिल हैं, निलंबन व निष्कासन और उनके स्थान पर अगली वार्षिक आमसभा तक चुनाव करना।

(ब) उपनियम क्रमांक (3) (1,2,3,4 व 5) के अधीन प्रबंधकारिणी कमेटी द्वारा लिये निर्णय के विरूद्ध अभ्यावेदन (अपील) सुनना।

(स) अन्य कोई कार्य जो कार्य सूची में हो और जिसे अध्यक्ष स्वीकृति दे, पर विचार करना।

(3) मांग पर बुलाई गई बैठक का विषय वही होगा जो मांग पत्र में दिया गया है।

(26) (1) प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा प्रति पुरुष द्वारा मतदान वर्जित है। ऐसे सदस्य का पता देने का अधिकार नहीं होगा जिस

पर मासिक अंशदान की राशि बकाया हो, या जो अन्य किसी राशि के लिये बकायादार हो, या जिसने कम से कम एक हिस्से की पूर्ण राशि न चुकाई हो।

(2) जनमत बराबर हो तो अध्यक्ष एक निर्णायक मत देगा।

(27)(1) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य एक सदस्य का निर्वाचन करेंगे जो आमसभा की अध्यक्षता करेगा। वार्षिक आमसभा के उपस्थित सदस्यों में से एक सदस्य अध्यक्ष चुना जावेगा जो सभा का कार्य संचालन करेगा। सभी विषय जिन पर चर्चा हो या निर्णय लिये जावें, कार्यवाही पुस्तक में लेखबद्ध किये जावेंगे जिस पर सभा के अध्यक्ष एवं सचिव के प्रमाण स्वरुप हस्ताक्षर होंगे।

(2) इन उपनियमों के अधीन किये, किसी कार्य या की गई कार्यवाही या समिति द्वारा गठित विभिन्न समितियों के कार्य संचालन हेतु बनाये नियमों के प्रदत्त अधिकार के अधीन किये गये कार्यें को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि कमेटी या समितियों में कोई पद रिक्त है।

प्रबंधकारिणी कमेटी –

(28) (अ) प्रबंधकारिणी कमेटी में अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सचिव को मिलाकर नौ सदस्य होंगे जिनको वार्षिक आमसभा में पांच वर्ष की अवधि के लिये चुना जावेगा।

(ब) समिति का कोई भी सदस्य प्रबंधकारिणी कमेटी में चुने जाने हेतु पात्र नहीं होगा यदि –

(1) वह 21 वर्ष से कम आयु का हो।

(2) वह समिति की देय राशि, मासिक अंशदान, हिस्से की राशि के लिये बकायादार है।

(3) वह क्षमता से अधिक कर्जदार है।

(4) वह विकृत मस्तिष्क का है।

(5) वह दुराचरण के कारण दंडित है।

(6) वह सहकारी अधिनियम उसके अधीन नियम के प्रावधानों के अधीन अपात्र है।

(स) प्रबंधकारिणी कमेटी कोई भी सदस्य स्वमेव को पदमुक्त माना जावेगा

यदि –

(1) वह सदस्यता खो देता है।

(2) उपनियम क्रमांक 28 (ब) में वर्णित कोई भी पात्रता खो देता है।

(3) प्रबंधकारिणी कमेटी की लगातार तीन बैठकों में कमेटी के विचार से अपर्याप्त कारण से अनुपस्थित रहता है।

(द) (1) अध्यक्ष उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या दोनों की अनुपस्थिति में कोई एक सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(2) कमेटी की बैठक में उपस्थित किसी सदस्य के प्रकरण में कोई निर्णय देना है तो प्रकरण पर विचार करते समय ऐसा सदस्य बैठक में अनुपस्थित रहेगा।

(3) जब भी आवश्यकता हो प्रबंधकारणी कमेटी की बैठक अवश्य होगी। गणपूर्ति चार सदस्यों की उपस्थिति से होगी। बैठक के लिये एक दिन की सूचना स्थान, दिनांक, समय एवं कार्यसूची सहित दी जावेगी। यदि आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति नहीं हुई तो बैठक स्थगित की जावेगी और स्थगित बैठक, बैठक के लिए निश्चित समय से एक घंटे बाद होगी। स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार रहेगा। पक्ष विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में अध्यक्ष को एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(5) बैठक में गोपनीय विषय पर चर्चा के समय प्रबंधकारिणी कमेटी के सदस्यों के अतिरिक्त कोई व्यक्ति या समिति का कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं रहेगा।

(29) (अ) प्रबंधकारिणी समिति के कार्य संचालन में सभी शक्तियां प्राप्त होगी सिवाय उनके जो आमसभा को प्राप्त है और उन नियमों प्रतिबंधों के अधीन जो समिति की आमसभा द्वारा लगाये गये हो या जो उपनियमों में वर्णित हो और विशेषकर उसके निम्न अधिकार व कर्तव्य होंगे –

(1) सभी कार्य संपादन में अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन करना।

(2) सभी प्राप्त एवं खर्च की गई सही सही लेखा रखना और वार्षिक व

सामयिक पत्रक निर्धारित नमूने से तैयार करना एवं उनकी पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छ.ग.को निर्देशानुसार प्रस्तुत करना।

(3) लेन एवं देन का सही लेखा रखना।

(4) सदस्य पंजी सही एवं तारीख तक रखना।

(5) आमसभा में आडिटशुदा आमद खर्च का नक्शा, हिसाब सिलक का नक्शा, हानि-लाभ पत्रक एवं अंकेक्षण, टीप प्रस्तुत करना।

(6) लेखों की जांच करना, संभाव्य खर्चों की स्वीकृति देना और निर्धारित पुस्तकों पर देखरेख करना।

(7) पंजीयक व अन्य निरीक्षकों के निरीक्षण की निरीक्षण टीम अंकेक्षक के आक्षेप पर विचार करना और आवश्यक कार्यवाही करना।

(8) नये सदस्यों को प्रवेश देना, उपनियम में दिये गये कारण से सदस्य को निष्कासित करना और उपनियम क्रमांक 10 के अधीन सदस्य को पुनः प्रवेश देना।

(9) उपनियम क्रमांक 11 के अनुसार सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के हित में भुगतान का प्रबंध करना।

(10) सदस्यों के अंशदान, हिस्से की राशि, ऋण की किश्तों एवं कालातित ऋण की वसूली का प्रबंध करना और कालातित ऋणों के प्रकरणों की जांच कर वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।

(11) उपनियम क्रमांक 24 के अनुसार साधारण एवं वार्षिक आमसभा आहूत करना।

(12) उपनियम क्रमांक 21 एवं 22 में निर्धारित सीमा के अधीन ऋण की अवधि एवं शर्तों के संबंध में निर्णय लेना और उपनियम क्रमांक 23 (11) के प्रावधानों के अनुसार ऋणों का नवीनीकरण, विलीनीकरण और पुनर्विचार करना।

(13) अमानतें लेने के लिये शर्तें, ब्याज की दर एवं अवधि निश्चित करना और उपनियम क्रमांक19 के अनुसार अमानतों के भुगतान एवं वापसी का प्रबंध करना।

(14) ऋणों का दुरुपयोग न हो इसकी निगरानी करना। अधिनियम की धारा 44 के अनुसार समिति की अतिरिक्त निधियों का विनीयोजन करना।

(15) समिति की लेखा पुस्तकों के निरीक्षण से अधिकृत व्यक्तियों की सहायता करना।

(16) कर्मचारियों की नियुक्ति, निलंबन एवं सेवा से पृथक करना।

(17) समिति के कार्यों से संबंधित समिति की ओर से या समिति, कमेटी पदाधिकारी या कर्मचारी या विशेष रुप से अधिकृत किसी के माध्यम से कानूनी कार्यवाही को प्रस्थापित, संचालन, समझौता, पंच फैसले को सौंपना या

(18) समिति की तरफ से केन्द्रीय या राज्य सहकारी बैंक के हिस्से क्रय करना।

(19) साधारणतः समिति के व्यवसाय का संचालन करना।

(20) पंजीयक द्वारा निर्देशित एवं निर्धारित कर ऐसे वेतनभोगी कर्मचारियों से, जो समिति की नगदी, सामान या संपत्ति में संबंधित हो, जमानतें लेना।

(21) सदस्यों से निर्धारित प्रपत्रों में अनुबंध एवं अन्य आवश्यक अभिलेख प्राप्त करना।

(22) सदस्यों में से संयुक्त सचिव की नियुक्ति करना।

(23) वार्षिक आमसभा द्वारा प्रदत्त कर्तव्य का पालन करना।

(24) समिति के व्यवसाय से संबंधित सभी आवश्यक खर्च करना।

(25) उपनियम क्रमांक 22 (1) से (6) के अधीन अनुमति प्राप्त कर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव को ऋण स्वीकृत संबंधी शक्तियां प्रदान करना।

(26) हिस्सों का आबंटन, वापसी एवं हस्तांतरण करना।

(27) ऋण प्रदाय एवं अमानतें लेने हेतु नियम बनाना।

(28) समिति के सदस्यों में से कमेटी में रिक्त स्थानों पर पद की शेष अवधि के लिये सहयोजन करना।

(29) दैनिक गदी सिलक को केन्द्रीय सहकारी बैंक रायपुर के खाते में जमा करना।

(30) समिति के व्यवसाय से संबंधित अन्य सभी कार्य करना।

(31) आवश्यक प्रपत्र एवं पंजी (रजिस्टर्स) तैयार एवं निर्धारित करना।

(32)(अ) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव को अलग-अलग बैंक खातों से राशि आहरण हेतु अधिकृत करना।

(ब) समिति के व्यवसाय संचालन में प्रबंधकारिणी कमेटी एक सामान्य व्यवसाई के समान विवेक एवं सावधानी बरतेगी और अधिनियम, नियम एवं उपनियम के विपरीत कार्य से हुई हानि के लिये उत्तरदायी रहेगी।

(स) प्रबंधकारिणी कमेटी की बैठक में सभी कार्यों पर की गयी चर्चा एवं लिये गये निर्णय कार्यवाही पुस्तक में लेखबद्ध किये जावेंगे, जिस पर बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य व सचिव एवं उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे।

अध्यक्ष -

(30) समिति के कार्यों पर अध्यक्ष का सामान्य नियंत्रण रहेगा। वह ऐसा पदाधिकारी होगा कि समिति की ओर से या समिति पर उसके पद के नाम से मुकदमा चलाया जा सकेगा और समिति के पक्ष में लिखे जाने वाले सभी अभिलेख अध्यक्ष के पदनाम से निष्पादित होंगे। समिति द्वारा निष्पादित सभी अभिलेखों पर कमेटी के दो सदस्यों के जिनमें से एक अध्यक्ष या सचिव होगा, हस्ताक्षर होंगे।

सचिव, संयुक्त सचिव और प्रबंधक के कर्तव्य और अधिकार -

(31) सामान्यत: सचिव एवं संयुक्त सचिव और इन दोनों के नियंत्रण में प्रबंधक के कर्तव्य और अधिकार निम्नलिखित होंगे।

(1) कार्यालय के कार्यों पर निगरानी रखना और सही एवं समय से लेखाकार्य जिसमें रोकड़ एवं खाते लिखना शामिल हैं जिसमें प्रत्येक सदस्य अमानतदार, ऋण दाता और ऋणग्रहिता का हिसाब रखने का उत्तरदायित्व वहन करना।

(2) सदस्य पंजी सही एवं तारीख तक हिस्सा पूंजी और उपनियम क्रमांक 12 के अधीन नामांकित व्यक्तियों की सूची रखना।

(3) सभी रसीदें एवं प्रमाणक और अभिलेख नियमानुसार या उपनियमानुसार जैसा प्रबंधकारिणी कमेटी चाहे तैयार करना।

(4) समिति द्वारा किये भुगतान की रसीद ऋण अभिलेख रहन नामे और पुनर्रहन पत्र जैसी ऋणी सदस्यों और अमानतदारों से अन्य अभिलेख

प्राप्त करना।

(5) अमानतें लेना और प्रबंधकारिणी कमेटी द्वारा निर्धारित नमूने में रसीदें देना।

(6) प्रबंधकारिणी कमेटी की पूर्व अनुमति से शासन राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक से ऋण लेना।

(7) समिति को देय राशि की वसूली करना और रसीदें देना।

(8) समिति पर देय राशि का भुगतान करना।

(9) प्रबंधकारिणी कमेटी की अनुमति से संभाव्य खर्च करना।

(10) समिति की ओर से हस्ताक्षर करना और पत्र व्यवहार करना।

(11) आमसभा एवं प्रबंधकारिणी कमेटी की बैठकें आहूत करना एवं उनमें उपस्थित रहना।

(12) सहकारी अधिनियम के अधीन नियम 24 के अनुसार अभिलेखों की प्रतियां जो आवश्यक हो तैयार कर प्रमाणित कर जारी करना।

(13) आमसभा एवं प्रबंधकारिणी कमेटी की बैठकों की कार्यवाही लिखना और अधिनियम, नियम या सहकारिता विभाग के परिपत्र के अनुसार उन पर हस्ताक्षर करना।

(14) वार्षिक नक्शे एवं प्रतिवेदन तैयार करना।

(15) समिति की सामान्य मुद्रा सचिव के संरक्षण में रखना।

(16) समिति की सामान्य मुद्रा से हिस्सों के प्रमाण पत्र एवं अमानतों की रसीदें जारी करना। प्रमाण पत्र पर अध्यक्ष एवं सचिव के और रसीदों पर सचिव के हस्ताक्षर होंगे।

(17) प्रत्येक माह की 20 तारीख तक सदस्यों से ऋण की किश्त, अनिवार्य जावेगी और उसकी सूचना प्राप्त कर समिति की पुस्तकों में प्रविष्ट करना।

(18) नियोजक सदस्य की सेवा संबंधी जानकारी प्राप्त करना एवं नियोजक को देय राशि की समय रहते वसूली करने हेतु हिदायत देना।

(19) सदस्य की समय-समय पर होने वाली सेवा शर्तों व मुख्यालय, स्थायीकरण समिति की सूची में दर्ज करना।

(20) अधिनियम में प्रावधानों के अनुसार बकाया राशि की वसूली हेतु आवश्यक

कदम उठाना।

(21) साधारणतय: समिति के दैनिक कार्यों का संचालन करना और ऐसे सभी कार्य करना जो प्रबंधकारिणी कमेटी द्वारा सौंपे गये हों।

पंजी, पुस्तकें एवं नस्तियां –

(32) निम्नलिखित पंजी एवं पुस्तकें समिति द्वारा रखी जावेगी –

(1) सदस्य पंजी, जिसमें नाम, पिता का नाम, जाति, आयु, निवास, व्यवसाय, प्रवेश एवं समाप्ति का दिनांक और नामांकन संबंधी जानकारी होगी।

(2) हिस्सों का अभिलेख, हिस्सा पंजी हिस्सेदार पंजी और हिस्सा हस्तांतरण पंजी।

(3) रोकड़ बही, जिसमें दैनिक, व्यापार की आदम-खर्च और शेष नगदी सिलक दर्शाई जावेगी।

(4) सदस्यों के व्यक्तिगत ऋण व अमानत खाते, ऋणदाताओं के खाते विविध लेन एवं देन के खाते और विनियोजन व निधियों के खाते।

(5) आमसभा एवं प्रबंधकारिणी कमेटी की कार्यवाही पत्रक।

(6) प्रयोजनानुसार ऋण पंजी, ऋण पर्ची, किश्तों एवं वसूली सहित।

(7) आमद खर्च का गोश्वारा एवं तलपट पंजी।

(8) पत्र-व्यवहार पंजी।

(9) पंजीयन प्रमाण पत्र उपनियम एवं उसमें संशोधन की नस्ती।

(10) परिपत्र, पत्रक, अंकेक्षण टीप एवं पत्राचार की नस्तियां।

(11) सदस्यों के आवेदन पत्र एवं अनुबंधों की जिल्द पंजी।

(12) ऋण आवेदन पत्रों एवं अनुबंधों की जिल्द पंजी।

(13) अन्य अभिलेखों की जिल्द पंजी।

(14) अन्य पंजी, पुस्तकें, नस्तियां जिनकी आवश्यकता हो।

(33) (अ) (1) ऋण एवं अमानतों पर ब्याज की दो आमसभा पंजीयक की अनुमति से निश्चित करेगी।

(2) अंशदान एवं ऋण की कालातीत किश्तों पर कालातीत ब्याज की दर क्रमश: 6-12 प्रतिशत एवं 9 प्रतिशत होगी।

(ब) (1) ऐसे सदस्य से जो एक वर्ष के भीतर सदस्यता से अलग हैं तो इस

जुर्माने के रूप में लिया जावेगा जिसकी वसूली उसकी जमा राशि में से की जावेगी।

(2) उस सदस्य से जो प्रबंधकारिणी कमेटी के विचार से ऋण का दुरुपयोग करता है, रुपये 15.00 जुर्माना वसूल किया जावेगा।

(3) प्रबंधकारिणी कमेटी समिति या सदस्य के हित में उचित समझे तो जुर्माने की राशि कम या माफ कर सकती है।

(स) कालातीत ऋण के बंद खातों पर एक प्रतिशत की दर से प्रासंगिक व्यय वसूल किया जावेगा परंतु यह राशि पांच रुपये से अधिक नहीं होगी।

(द) हिस्से का प्रमाण पत्र अमानत की रसीद और पास बुक की दूसरी प्रति जारी करने पर एक रुपये फीस ली जावेगी।

(1) ऋण पर ब्याज प्रतिवर्ष लगाया जावेगा और वर्षांत पर ऋण खाते नामे लिखा जावेगा।

(2) अंशदान पर ब्याज माह की 15 तारीख को शेष राशि पर लगाया जावेगा और वर्षांत में अंशदान खाते में जमा किया जावेगा।

(3) अन्य अमानतों पर ब्याज माह में कम से कम शेष राशि पर 10 रुपये गुणनफल के आधार पर लगाया जावेगा। माह की 10 तारीख के बाद जमा की गई राशि इस आकलन में शामिल नहीं की जावेगी।

(4) सभी प्रकार के ब्याज व खर्च खाता बंद करके या समिति में सदस्यता समाप्ति के दिनांक को लगाकर वसूली किये जावेंगे जैसा कि इन उपनियमों में प्रावधान है।

(इ) खाते में धन संकलन की राशि में से सबसे पहले खर्च जुर्माना, कालातीत ब्याज वसूल किया जावेगा और शेष राशि संबंधित खाते में जमा की जावेगी।

निधियों का संरक्षण –

(34) समिति द्वारा प्राप्त सभी राशि केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर और पदाधिकारियों के पास जमा की जावेगी। राशि का आहरण अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा अपने व्यक्तिगत हस्ताक्षर से किया जावेगा।

निधियों का विनियोजन –

(35) (1) निधियों का उपयोग इन उपनियमों में वर्णित उद्देश्यों के संबंधित एवं कार्यों में किया जावेगा।

(2) अधिनियम उसके अनुसार नियम एवं उपनियमों में निर्धारित रीति से प्रबंधकारिणी कमेटी अतिरिक्त निधियों का विनियोजन कर सकती है।

लाभ -

(36) (1) पंजीयक, सहकारी समितियों द्वारा घोषित शुद्ध लाभ का बंटवारा नियमानुसार होगा -

(अ) 25 प्रतिशत संचित निधि में रखा जावेगा।

(ब) 10 प्रतिशत सामान्य लाभ निधि में जिसका उद्देश्य एक ऐसी निधि बनाने का है जो सभी सदस्यों के सामान्य हित पूर्ति के उपयोग में आ सके या ऐसी दिवंगत सदस्यों के परिवार को सहायता की जा सके जो बेसहारे हो गये और जिसका उपयोग ऐसी सहायता पहुंचाने में किया जाए जो प्रबंधकारिणी कमेटी के विचार से उचित हो, रखा जावेगा।

(स) शेष लाभ में सदस्यों को उनके द्वारा पूर्ण चुकात हिस्सों पर अधिक से अधिक 10 प्रतिशत लाभांश के रूप में वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी के अनुपात में बांटा जावेगा।

(द) शेष के लाभ का उपयोग निम्नलिखित निधियों और अन्य निधियों जिन्हें समिति तय करके बनाने में किया जा सकता है।

(1) शकील एवं डूबंत ऋण निधि।

(2) लाभांश समतौल निधि।

(3) भवन निधि।

(4) स्कंध निधि।

(2) यह सब निधियां समिति के व्यापार के बाहर विनियोजित की जावेगी और समिति के व्यापार में लगाई जावेगी। भवन निधि का उपयोग पंजीयक की अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा।

(3) यदि कोई सदस्य लाभांश घोषणा की तिथि से 5 वर्ष के भीतर लाभांश की राशि की मांग नहीं करता है तो उसे लाभांश पाने का कोई अधिकार नहीं होगा और ऐसे लाभांश की राशि समिति की संचित निधि में समायोजित की जावेगी।

संचित निधि -

(37) शुद्ध लाभ का कम से कम 25 प्रतिशत भाग समिति की संचित निधि में रखा

जायेगा जिसका विनियोजन पंजीयक, सहकारी समितियां छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित रीति से किया जावेगा। संचित निधि समिति की स्थायी एवं अधिभाज्य निधि है और समिति के समाधान की स्थिति में उसका उपयोग राज्य शासन द्वारा अधिनियम के अधीन बनाये नियम के अनुसार किया जावेगा।

(38) संबद्धता -

(अ) यह समिति रायपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित व राज्य सहकारी बैंक मर्यादित से संबद्ध होगी और इन बैंकों के संचालक मंडल द्वारा निर्धारित राशि के अंश क्रय करेगी परंतु ऋण लिये गये हिस्सों के मूल्य की कुल राशि सदस्यों द्वारा प्रदत्त अंशपूंजी के 1/2 भाग से अधिक नहीं होगी।

(ब) समिति रायपुर जिला सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर एवं छ.ग. राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की भी सदस्य होगी।

विवाद -

(39) इन उपनियमों की व्याख्या करने के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो तो वह पंजीयक, सहकारी समितियां छ.ग. को सौंपा जावेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

संशोधन -

(40) इन उपनियमों में संशोधन आमसभा के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा किया जा सकता है। संशोधन पंजीयक, सहकारी समितियां, छ.ग. की स्वीकृति के बाद लागू होंगे।

समापन -

(41) समिति का समापन केवल अधिनियम की धारा 69 के अधीन पंजीयक, द्वारा पारित आदेश से होगा।